

प्राथनापत्र 0-1-2019 के,  
(सम-चर्चा) फावली दाखले  
केदिन प्राथनापत्र- 0-1-2019  
दिनांक 24-01-20 को प्रेषित है

24-15

वकील उभयपक्षा उप० वकील  
प्राथी द्वारा प्राथीगण की ओर से प्रार्थना  
पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चाहे  
गये अनुगोष से सम्बन्धित रकबा का  
पूर्वी हिस्सा का रजिस्टर्ड बैयनामा  
पिक्रय कर दिया है। इस कारण प्राथीगण  
को रास्ते की आवश्यकता नहीं है। और  
ना ही प्रकरण को चलाने का कोई  
औचित्य है। अतः उक्त प्रकरण में पूर्वी  
में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश  
हटाया जाकर फावली दारिजल दफतर की  
जावे।

(Dehry)  
24/20

प्राथीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र  
का अवलोकन किया गया। फावली का  
अवलोकन किया गया। प्राथीगण द्वारा  
हस्तगत प्रकरण में आगे कार्यवाही  
नहीं चाहने पर प्राथीगण द्वारा प्रस्तुत  
प्रार्थनापत्र इसी स्टेज पर खारिज किया  
जाता है। दिनांक 02-01-2019 को  
जारी अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश  
को निरस्त किया जाता है। फावली  
दारिजल नम्बर से कम की जाकर बढ़  
तकमील जावता दारिजल अभिलेखागार हो

(उममेद सिंह रतन)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान)

